हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1968

धाराओं का कम

धाराएंः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं।
3. कतिपय आधारों पर बंदियों की अस्थाई रिहाई।
4. प्रावकाश पर बंदियों की अस्थाई रिहाई।
5. धारा 3 और 4 के अधीन अवधि की संगणना में कतिपय दिवसों का अपवर्णन।
6. कतिपय दशाओं में बंदियों का रिहाई के हकदार न होना।
7. निर्धन बंदियों के यात्रा व्ययों का सरकार द्वारा वहन किया जाना।
8. रिहाई अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करने का बंदी का दायित्व और अधिक ठहरने के परिणाम।
9. आत्मसमर्पण में असफल रहने पर शास्ति।
10. नियम बनाने की शक्ति।
11. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश सदाचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1968

(1969 का अधिनियम संख्याक 12)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 05 अक्तूबर, 1990 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 जून, 1991 को पृष्ठ संख्या 1509 से 1513 पर प्रकाशित किया गया।)

सदाचरण के लिए बन्दियों को कतिपय शर्तों पर अस्थाई रिहाई के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सदाचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1968 है।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता में बन्दी इस अधिनियम के अधीन अस्थाई रिहाई के पश्चात उसकी रिहाई की अवधि के दौरान सम्भाव्यता निवास करेगा;

(ख) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''बन्दी के कुटुम्ब का सदस्य'' से बन्दी का पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई या बहिन अभिप्रेत है;

(घ) ''अधिसूचना'' से उचित प्राधिकार के अधीन राजपत्र में, प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

———————————

1. **पाद टिप्पणी:**– चूँकि अधिनियम राजभाषा में 05 अक्तूबर, 1990 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 29 जून, 1991 को पृष्ठ संख्या 1509 से 1513 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाण के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

(ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) ''बन्दी'' से कारावास के दण्डादेश के अधीन कारागार में परिरूद्व व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) ''जेल अधीक्षक'' से उस जेल का अधीक्षक अभिप्रेत है जिसमें बन्दी अपने कारागार दण्डादेश को भुगत रहा है।

3. **कतिपय आधारों पर बंदियों की अस्थाई रिहाई.**—(1) सरकार, जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करके और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी बन्दी को अस्थायी तौर पर रिहा कर सकेगी यदि सरकार का समाधान हो जाता है कि–

(क) बन्दी के कुटुम्ब के सदस्य की मृत्यु हो गई है या सख्त बीमार है; या

(ख) बन्दी के पुत्र या पुत्री का विवाह होना हो ; या

(ग) बन्दी की अस्थाई रिहाई उसकी भूमि पर हल चलाने, बीजने या फसल काटने या कोई अन्य कृषि कार्य करने के लिए आवश्यक है और उसकी अनुपस्थिति में, इस निमित,बन्दी का कोई मित्र या बन्दी के कुटुम्ब का कोई सदस्य उसकी सहायता करने के लिए तैयार नही है; या

(घ) किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से ऐसा करना वांछनीय है।

(2) वह अवधि जिसके लिए बन्दी को रिहा किया जा सकेगा, सरकार द्वारा ऐसे अवधारित की जाएगी ताकि वह निम्नलिखित से अधिक न होः –

(क) जहां बन्दी को उप–धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आधारों पर रिहा किया जाना है – दो सप्ताह ;

(ख) जहां बन्दी को उप–धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) के अधीन रिहा किया जाना है चार सप्ताह; और

(ग) जहां बन्दी को उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन रिहा किया जाना है, – छः सप्ताह

(3) इस धारा के अधीन रिहाई की अवधि, बन्दी को सकल दण्डादिष्ट अवधि में, संगणित नहीं होगी ।

(4) सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट सभी या किन्ही आधारों के सम्बन्ध में, इस धारा के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

4. **प्रावकाश पर बंदियों की अस्थाई रिहाई.**—(1) सरकार या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, किसी बन्दी को अस्थायी तौर पर प्रावकाश पर, रिहा कर सकेगी, जिसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, और जो,—

(क) उसकी अस्थायी रिहाई की तारीख से ठीक पूर्व, छूट को अपवर्जित करके, तीन वर्ष की अवधि का कारावास भोग चुका है;

(ख) ऐसी अवधि के दौरान कोई भी जेल अपराध नही किया है और कम से कम तीन वार्षिक सदाचरण छूटें अर्जित की है:

परन्तु इसकी कोई भी बात उस बन्दी को लागू नही होगी जो,—

(i) हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित आभ्यासिक अपराधी है; या

(ii) लूट या डैकती अथवा ऐसे अपराध के लिए जैसा कि सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सिद्वदोष ठहराया गया हो।

(2) प्रावकाश की अवधि, जिसके लिए बन्दी उप–धारा (1) के अधीन पात्र है, उसकी रिहाई के प्रथम वर्ष के दौरान तीन सप्ताह और उसके पश्चात् प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के दौरान दो सप्ताह होगी ।

(3) धारा 8 की उप–धारा (3) के खण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप–धारा (1) में निर्दिष्ट रिहाई अवधि, बन्दी के दण्डादेश की सकल अवधि में संगणित की जायेगी।

5. **धारा 3 और 4 के अधीन अवधि की संगणना में कतिपय दिवसों का अपवर्जन.**—धारा 3 और 4 के अधीन बन्दी की अस्थायी रिहाई की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए कारागार से प्रस्थान और पहुंच के दिवसों का अपवर्जन किया जाएगा।

6. **कतिपय दशाओं में बंदियों का रिहाई के हकदार न होना.**—धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बन्दी इस अधिनियम के अधीन रिहाई के लिए, हकदार नही होगा, यदि जिला मजिस्ट्रेट की रिर्पोट पर सरकार या इस द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि उसकी रिहाई से, सम्भाव्यता राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने में संकट हो सकता है।

7. **निर्धन बंदियों के यात्रा व्ययों का सरकार द्वारा वहन किया जाना.**—यदि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर सरकार का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन उसकी अस्थाई रिहाई के पश्चात कारागार से और कारागार को, उसकी यात्रा के व्ययों को बन्दी का कुटुम्ब वहन नही कर सकता है, तो व्ययों का सरकार द्वारा ऐसी सीमा तक ऐसी और रीति में जो विहित की जाए, वहन किया जाएगा।

8. **रिहाई अवधि की समाप्ति पर आत्मसमर्पण करने का बंदी का दायित्व और अधिक ठहरने के परिणाम.**—(1) उस अवधि की समाप्ति पर, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन बन्दी को रिहा किया गया है, वह अपने को उस जेल के अधीक्षक को, उसे रिहा किया गया था, प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई बन्दी उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित रूप में उस तारीख से जिसको उसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए था, दस दिन की अवधि के भीतर अपने को प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकेगा और उसे दण्डादेश के अनवसित भाग को भुगताने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई बन्दी उस तारीख से, जिसको उसे अपने को प्रस्तुत करना चाहिए था, दस दिन की अवधि के भीतर, उस जेल के अधीक्षक के पास, जिसके लिए उसे रिहा किया गया था, अपने को प्रस्तुत कर देता है, किन्तु जेल के अधीक्षक का इस बात से समाधान कराने में असफल रहता है कि वह उस अवधि की ठीक समाप्ति पर, जिसके लिए उसे रिहा किया गया था, अपने को प्रस्तुत करने में पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुआ, था, तो बन्दी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात निम्नतिखित सभी या उनमें से कोई शास्ति, जेल के अधीक्षक द्वारा उसे दी जाएगीः–

(क) अधिक ठहराव के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम पांच दिवसों की छूट की कटौती;

(ख) अधिकतम एक मास की अवधि के लिए जलपान की रियायत का बन्द करना;

(ग) अधिकतम तीन मास की अवधि के लिए साक्षात्कार या पत्रों या दोनों की रियायत का बन्द करना;

(घ) धारा 4 के अधीन प्रावकाश पर बन्दी की अस्थायी रिहाई की अवधि की संगणना, उसके दण्डादेश में नही की जाएगी;

(ङ) चेतावनी; और

(च) ''सिद्व दोष चौकीदार'' या ''सिद्वदोष ओवरसियर'' की हैसियत से और श्रेणी से अवनत करना।

9. **आत्मसमर्पण में असफल रहने पर शास्तिः** कोई बन्दी जो धारा 8 की उप–धारा (2) के अधीन गिरफ्तार किए जाने के लिए दायी है, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में दण्ड, बन्दी को उस अपराध में किए गये दण्ड के अतिरिक्त है जिसमें सिद्वदोष किया गया है।

10. **नियम बनाने की शक्ति.**—सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेषतः, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा,——

(क) बन्दी द्वारा (उसके प्रतिभू सहित) रिहाई की अवधि के दौरान अच्छे आचरण और ऐसी अवधि के समाप्ति पर उसके अपने आपको प्रस्तुत करने के लिए बन्धपत्र का निष्पादन ;

(ख) राशि जिस के लिए प्ररूप और रीति जिसमें ऐसा बन्धपत्र दिया जाएगा ;

(ग) इसकी किसी शर्त के भंग की दशा में बन्धपत्र की राशि का समपहरण ;

(घ) वे शर्तें जिन पर और रीति जिस में बन्दी को इस अधिनियम के अधीन अस्थायी तौर पर रिहा किया जा सकेगा।

(ङ) वह रीति जिसमें बन्दी को रिहा करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श किया जाएगा ; और

(च) वह सीमा जिस तक और रीति जिसमें, सरकार द्वारा निर्धन बंदियों के यात्रा व्ययों का वहन किया जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे।

11. **निरसन और व्यावृत्ति.**—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत, पंजाब सदाचारी बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1962 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।